

पीआरडी जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मलिंगे दो लाख रुपए

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त, 2023 को उत्तराखण्ड कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिये लागू कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान जवान की मौत पर मलिनने वाली एक लाख की धनराशिको बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं जवानों के बच्चों को मलिनने वाली छात्रवृत्तिकी धनराशिभी बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बडि

- कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि प्रांतीय रक्षक एवं विकास दल के स्वयंसेवकों को दी जाने वाली सहायता को अधिक उपयोगी बनाने के लिये मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के सभी वभिगों में कार्यरत पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिये कल्याणकोष नियमावली में संशोधन के लिये वित्त एवं न्याय वभिग की सहमति ले ली गई है।
- इन प्रस्तावों को मली मंजूरी:
 - विशेष जोखमि वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को 75 हज़ार की जगह डेढ़ लाख रुपए मलिंगे।
 - सामान्य ड्यूटी व यात्रा के दौरान मृत्यु पर 50 हज़ार रुपए की जगह एक लाख रुपए मलिंगे।
 - स्थायी अपंगता पर उच्च श्रेणी के लिये अनुमन्य धनराशि की आधी एवं गंभीर घायल पर अनुमन्य की चौथाई धनराशि दी जाएगी।
 - उपचार के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को अधिकितम एक लाख रुपए मलिंगे।
 - मृत्यु पर दाह संस्कार के लिये दस हज़ार रुपए मलिंगे।
 - 3650 दिन की सेवा करने वाले जवानों को कसी वजह से सेवा से हटने पर एक लाख रुपए मलिंगे।
 - सभी जवानों का बीमा कया जाएगा।
 - पीआरडी जवान को ड्यूटी एवं प्रशिक्षण के दौरान आपदा से नुकसान पर 50 हज़ार मलिंगे।
 - अवैतनिक सदस्यों के आश्रित छात्रों को हाईस्कूल प्रथम श्रेणी पास करने पर श्रेष्ठ 10 बच्चों को 250 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मलिंगी।
 - 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी पास 10 बच्चों को एक हज़ार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
 - एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कॉलेज में एवं अन्य कोर्स में प्रवेश पर दो हज़ार रुपए हर महीने कोर्स की अवधिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।



//

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/dependents-will-get-2-lakh-on-death-of-prd-jawans-during-duty>

